राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1346 / 2024

राजमल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. श्री बोदीलाल जाट, भू.अ. निरीक्षक, जिला नीमकाथाना।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.03.2024

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 10.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वृत्त बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा श्री बोदीलाल

जाट का स्थानान्तरण पदोन्नति आदेश दिनांक 06.10.2023 उपरांत जिला नीमकाथाना किया गया था और आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा श्री बोदीलाल जाट को नीमकाथाना से जयपुर ग्रामीण स्थानान्तरित किया गया, जो उसे अनुचित लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी के स्थान पर वृत्त बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में पदस्थापित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वृत्त बिलोंची गलत दर्शाया गया है। अपीलार्थी को जिला जयपुर से स्थानान्तरण होना दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ दर्शाया है। जबकि स्थानान्तरण आदेश में वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध लगने के दौरान किया गया है और आदेश उच्च स्तर से अनुमोदित नहीं है जबकि माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण टीएसपी क्षेत्र में किया गया है। जबकि नियमानुसार अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों का स्थानान्तरण नॉन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। वर्तमान आदेश में तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ अंकित किया गया है। जबकि वृत्त नहीं दर्शाया गया है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 544 / 2021 राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय न्यायालय द्वारा अनुचित व गलत माना है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के माता–पिता जिनकी उम्र 85 वर्ष है उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से चित्तौडगढ जिले में किया गया है, जो अनुचित व अवैध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1710 / 2024 अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 29.04.2024 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें कार्मिक को जयपुर जिले में कार्यरत मानते हुये स्थानान्तरण किया गया है। इसी प्रकार अपील संख्या 647 / 2024 नरेन्द्र सिंह कविया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में जारी आदेश दिनांक 01.03.2024 जिसमें कार्मिक का पटवार मण्डल नहीं दिखाया गया है, की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश एक तो जिला गलत दर्शाते हुये स्थानान्तरण किया गया है दूसरा जिस स्थान पर स्थानान्तरण किया गया

है वहां वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया जाना प्रकट होता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 10.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वृत्त बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। श्री बोदीलाल जाट का स्थानान्तरण पदोन्नति उपरांत जिला जयपुर ग्रामीण में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन उपरांत किया गया है। चित्तौडगढ जिले की बडीसादडी तहसील की कुछ ग्राम पंचायत हैं। टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित हैं, शेष चित्तौडगढ जिला नॉन टीएसपी के अंतर्गत आता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का पदस्थापन पदोन्नति उपरांत किया गया है। प्रशासनिक कारणों से किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से किया जा सकता है। इस प्रकार आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला जयपुर से होना दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ दर्शाया है। जबकि स्थानान्तरण आदेश में वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण गलत जिले से दर्शाते हुये किये जाने का प्रश्न है, स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है

कि अपीलार्थी को वृत्त बिलोंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर दर्शाते हुये स्थानान्तरण किया गया है जबकि अपीलार्थी वृत्त बिलोंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। इस प्रकार के आदेशों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7277/2006 नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2006 में गलत पद या पदस्थापन स्थान दर्शाने के संबंध में निम्नलिखित विनिश्चय प्रतिपादित करते हुये याचिका स्वीकार की है :–

> *"The learned counsel for the petitioner in rebuttal has submitted that the transfer order has been passed by the Commissioner without application of mind which is apparent and discernible from the impugned transfer order that the petitioner was working not at a place shown in the order. The petitioner at present is working at Titori and she had been shown to have been working at Khora Rajpura which is factually incorrect. The order is not implementable as the petitioner is not working at Nagaur from where she has been shifted. The Divisional Commissioner may be competent to transfer the petitioner and once the transfer order is issued by the Divisional Commissioner, it can not be cancelled by any authority except prescribed by the Govt. The Additional Commissioner was not having the jurisdiction to cancel or modify the transfer order of the petitioner. Respondents have noticed it and have tried to correct it in accordance with law but while doing so the respondents have not taken care to find out as to whether the order passed is implementable. The respondents have not even tried to find out as to whether the petitioner is working in terms of the original order dated 16.12.02. The order on the face of it exhibits non-application of mind and is not implementable.*
>
> *For the reasons stated above, the petition is allowed. The order dated 22.7.2006 is quashed and set aside. The respondents are at liberty to pass fresh order in accordance with law, if required."*

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है, जो उक्त न्यायिक विनिश्चय एवं नियमों के विरूद्ध है।

जहां तक स्थानान्तरण आदेश में स्थानान्तरण स्थान गलत दर्शाये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 10.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तहसील बेगूं, जिला चित्तौडगढ स्थानान्तरित किया गया है। जबकि उक्त आदेश में वृत्त का नाम नहीं दर्शाया गया है जबकि वृत्त का नाम दर्शाते हुये अपीलार्थी का

स्थानान्तरण किया गया है लेकिन जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। वहां के वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसे स्थानान्तरण आदेशों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 544/2021 राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"27. In considered opinion of this court, the fact that the petitioner has been shunted from Patwar Mandal Akadali, Tehsil Pachpadra, District Barmer to District Hanumangarh, without indicating Patwar Circle or even Tehsil is enough to show lack of application of mind. It cannot be inferred that the competent auhtority was aware of the present vacant position in Disrict Hanumangarh and that too the requirement of petitioner's efficiency in such Patwar Circle, for which his transfer was warranted.*
>
> *28. if the competent authority has not decided or was not aware, where the concerned Patwari is to be transferred, it cannot be presumed that the competent authority has applied its mind towards the vacant position, falling vacant on account of exigencies mentioned in clause (ii) of Rule 9 of The Rules of 1957. Nor can he be presumed to have ascertained that interest of efficiency of work required that petitioner should be transferred to a far flung place at Hanumangarh."*

उपरोक्तानुसार ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित व विधि विरूद्ध माना है। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश उक्त न्यायिक विनिश्चयों के विपरीत है क्योंकि स्थानान्तरण आदेश में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उचित स्थानान्तरण स्थान को/वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 उक्त न्यायिक विनिश्चय के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य